न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 48 / 2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023 / 344

दायर दिनांक :— 17.05.2023 निर्णय दिनांक :— 22.12.2024

1. सुरेश कुमार पुत्र सुगताराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील कज्जू जिला बीकानेर
2. बृजलाल पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील कज्जू जिला बीकानेर
3. विरेन्द्रपाल पुत्र सगताराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील कज्जू जिला बीकानेर
4. मनफुल पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील कज्जू जिला बीकानेर

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र सगताराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील कज्जू जिला बीकानेर
3. रामस्वरूप पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील कज्जू जिला बीकानेर
4. वेदप्रकाश पुत्र सगताराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील कज्जू जिला बीकानेर
5. हरीराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील कज्जू जिला बीकानेर

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण

2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 की ओर से

3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रति.सं. 1

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी अधिकरों की खरीदसुदा काश्त भूमि खसरा नम्बर 1450 / 2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर सरहद मौजा धोलिया पटवार हल्का बारू तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2078—2081 संलग्न वाद पेश है। वादी संख्या 1 का सही एवं वास्तविक नाम सुरेश कुमार पुत्र सगताराम, वादी संख्या 2 का सही एवं वास्तविक नाम बृजलाल पुत्र पांचाराम, वादी संख्या 3 का सही एवं वास्तविक नाम विरेन्द्रपाल पुत्र सगताराम, वादी संख्या 4 का सही एवं वास्तविक नाम मनफुल पुत्र पांचाराम है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा वादी संख्या 1 का नाम अपनी मनमर्जी से सरेन्द्र पुत्र सगताराम, वादी संख्या 2 का नाम बृजपाल पुत्र पांचाराम , वादी संख्या 3 का नाम विरेन्द्र कुमार पुत्र सगताराम तथा वादी संख्या 4 का

22/12/24

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

हरफुल पुत्र पांचाराम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया दिया जबकि वादी संख्या 1 का सही एवं वास्तविक नाम सुरेश कुमार पुत्र सगताराम, वादी संख्या 2 का सही एवं वास्तविक नाम बृजलाल पुत्र पांचाराम, वादी संख्या 3 का सही एवं वास्तविक नाम विरेन्द्रपाल पुत्र सगताराम तथा वादी संख्या 4 का सही एवं वास्तविक नाम मनफुल पुत्र पांचाराम है तथा इसी नाम से ही वादीगण के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादीगण को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से वादीगण को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादीगण ने दिनांक 25.03.2023 को अपने नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतवादी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम धोलिया पटवा क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1450/2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि में दर्ज अपने गलत नाम वादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम सुरेश कुमार पुत्र सगताराम, वादी संख्या 2 अपने गल नाम बृजपाल के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम बृजलाल पुत्र पांचाराम, वादी संख्या 3 अपने गलत नाम विरेन्द कुमार के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम विरेन्द्रपाल तथा वादी संख्या 4 अपने गलत नाम हरफुल के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम मनफुल पुत्र पांचाराम के नाम से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 1450/2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादीगण के नाम गुणावगुण परी सही किये जाते है तो कोई एजराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 की और से अधिवक्ता मोहम्द रफीक ने वकलातनामा व इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद माफिक इस्तदुआ अनुसार निर्णय किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। अधिवक्ता वादीगण साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2078–2081 ग्राम धोलिया पटवार हल्का बारू के खसरा नम्बर 1450/2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर स्थित है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में सुरेन्द्र कुमार पुत्र सगताराम, बृजपाल पुत्र पांचाराम, विरेन्द्र कुमार पुत्र सगताराम, हरफुल पुत्र पांचाराम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि वादी संख्या 1 का नाम सुरेश कुमार पुत्र सगताराम, वादी संख्या 2 का नाम बृजलाल पुत्र पांचाराम, वादी संख्या 3 का नाम विरेन्द्रपाल पुत्र सगताराम, वादी संख्या 4 का नाम मनफुल पुत्र

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पांचाराम है। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने वादीगण का नाम सही दर्ज किये जाने पर किसी प्रकार कोई एतराज नहीं के कथन किये गये। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 ने भी वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किये जाने में सहमति प्रदान की है। वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धोलिया पटवार हल्का बारू के खसरा नम्बर 1450/2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र सगताराम, बृजपाल के स्थान पर बृजलाल पुत्र पांचाराम, विरेन्द कुमार के स्थान पर विरेन्द्रपाल व हरफुल के स्थान पर मनफुल पुत्र पांचाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. सुरेश कुमार पुत्र सुगताराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
2. बृजलाल पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
3. विरेन्द्रपाल पुत्र सगताराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
4. मनफुल पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र सगताराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
3. रामस्वरूप पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
4. वेदप्रकाश पुत्र सगताराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
5. हरीराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 48 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार, मोहम्मद रफीक मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम धोलिया पटवार हल्का बारू के खसरा नम्बर 1450 / 2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र सगताराम, बृजपाल के स्थान पर बृजलाल पुत्र पांचाराम, विरेन्द कुमार के स्थान पर विरेन्द्रपाल व हरफुल के स्थान पर मनफुल पुत्र पांचाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।